औद्यौगिक नीति

2003

उत्तरांचल शासन

देहरादून

प्रस्तावनाः–

औद्यौगिक नीति 2001 नये राज्य उत्तरांचल में सम्भावनाओं तथा नयी आशाओं की पृष्ठभूमि में तैयार की गई थी। नीति में मुख्य रूप से उन्हीं क्षेत्रों पर ध्यान आकर्षित किया गया है, जिनमें उत्तरांचल राज्य में अन्तर्निहित लाभ धरोहर के रूप में उपलब्ध है, जैसे पर्यटन, जल विद्युत, फ्लोरीकल्चर, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा, खादी व ग्रामोद्योग आदि।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने नैनीताल प्रवास के दौरान मार्च 2002 में घोषणा की थी कि उत्तरांचल राज्य में औद्यौगीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज प्रदान किया जायेगा ताकि राज्य में उद्योगों की प्रगति मे बाधकों को दूर किया जा सके। यह प्रोत्साहन पैकेज औपचारिक रूप से दिनांक 7 जनवरी, 2003 को घोषित किया गया। इस नए पैकेज के परिपेक्ष्य में तथा नए उद्यमियों द्वारा दर्शाई गई रूचि, वर्तमान नीति के प्रावधानों एवं अन्य राज्यों के अनुभवों से सीख लेते हुए, उदारीकरण की धरातलीय वास्तविकताओं तथा आर्थिक सुधारों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश शासन द्वारा एक सुविचारित नई औद्यौगिक नीति बनाने की आवश्यकता महसूस की गयी ।

इस नीति का उद्देश्य एक ऐसा समन्वित कार्यक्षेत्र उपलब्ध कराना है, जिससे कि उद्यमियों को औद्यौगिक विकास हेतु निवेश के लिए मैत्रीपूर्ण वातावरण सुलभ हो तथा इसके द्वारा रोजगार के अतिरिक्त अवसर विकसित हो सकें जिससे उत्तरांचल राज्य के घरेलू उत्पादों एंव संसाधनों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके और अन्ततोगत्वा राज्य के आर्थिक एवं मानव संसाधनों का विकास हो सके। यह नीति औद्यौगिक नीति 2003 के रूप में जानी जाएगी तथा पॉच वर्षों तक प्रभावी रहेगी।

परिकल्पनाः–

- राज्य मे विश्व स्तरीय अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व अन्य मुख्य बाजारों हेतु संयुज्जता (connectivity) बढाना।
- राज्य में एकल खिड़की सुविधा उपलब्ध कराना, जिससे स्वीकृति की औपचारिकताओं में लगने वाले समय की बचत की जा सके तथा निवेशकों हेतु मैत्रीपूर्ण वातावरण तैयार किया जा सके।
- औद्यौगिक इकाईयों एवं अवस्थापना परियोजनाओं हेतु त्वरित गति से भूमि उपलब्ध कराना ।

- औद्यौगिक आस्थानों, विकास केन्द्रों, एकीकृत विकास केन्द्रों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों एवं उत्पादों, थीम पार्को, पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं, नये पर्यटक स्थलों के विकास, हवाई अड्डो/हैलीपैड/हवाई पट्टियों, सड़कों, विद्युत उत्पादन, पारेषण व वितरण एवं उद्यानिकी, फ्लोरिकल्चर, जैव प्रौद्यौगिकी आदि क्षेत्रों में प्रबन्धन हेतु निजी क्षेत्र सहभागिता को बढ़ावा दिया जाना ।
- उद्योगों को उच्च गुणवत्ता वाली विश्वसनीय, निर्बाधित एंव उचित मूल्य पर ऊर्जा उपलब्ध कराना ।
- श्रम कानूनों व इसकी प्रक्रिया को वर्तमान समय की आवश्यकतानुसार सरल तथा सुसंगत बनाना जिससे श्रमिकों को राज्य की आर्थिक सम्पन्नता में उचित भागीदारी प्राप्त हो सके।
- राज्य में प्रमुख रूप से लघु उद्योग, कुटीर, रेशम, खादी एवं ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प, हथकरघा उद्योगों को स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन देना तथा उनके आधुनिकीकरण तथा तकनीकी उच्चीकरण हेतु आवश्यक बैकवर्ड व फारवर्ड लिंकेज हेतु सामान्य सुविधाएं जैसे वस्तु अभिकल्प तथा विपणन सहयोग उपलब्ध कराना जिससे उनके उत्पाद विश्व में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से स्थापि त हो सकें।
- बैंको तथा वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से उद्योगों, विशेषतः लघु उद्योगों की रूग्णता, तथा संभावित रूग्णता की समस्याओं के निराकरण तथा पुनर्वास हेतु प्रयास करना।
- राज्य के स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों प्रमुखतः कृषि, उद्यान, खाद्य प्रसंस्करण एवं फ्लोरिकल्चर को प्रोत्साहित करना।
- राज्य की खनिज सम्पदा का नियोजित व वैज्ञानिक विधि से दोहन करते हुए मूल्य संवर्धिता के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना।
- राज्य में नए सूर्योदय उद्योगों (sunrise industries) तथा उच्च तकनीकी वाले उद्योगों जैसे सूचना प्रौद्यौगिकी व जैव प्रौद्यौगिकी को प्रोत्साहित करना।
- विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, पारेषण तथा वितरण के सुदृढीकरण हेतु निजी क्षेत्रों की सहभागिता को प्रोत्साहित करना।
- पर्यटन को फोकस एरिया के रूप में प्रोत्साहित करना तथा उत्तरांचल राज्य को विश्व के प्रमुख पर्यटक स्थल (Premier tourism destination)के रूप में विकसित करना ।
- पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु उद्यमियों को विशेष सहायता प्रदान करना।

- सड़क, रे तथा वायुयान व अन्य संयुज्जताओं का विकास व सुदृढ़ीकरण करना।
- राज्य में उपलब्ध विश्व स्तरीय अनुसंधान व तकनीकी संस्थाओं की उपलब्धता की पृष्ठभूमि में उत्तरांचल को शिक्षा व अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रमुख केन्द्र के रूप में स्थापित करना ।

उत्तरांचल की धरोहरः–

गैर–वित्तीयः–

- ❖ उत्तरांचल में प्रकृति के वरदान स्वरूप दुष्प्राप्य जैव–विविधता रखने वाली लगभग 175 सुगन्धित एवं चिकित्सकीय पौधों की दुर्लभ प्रजातियां उपलब्ध हैं।
- ❖ राज्य में लगभग सभी मुख्य जलवायु क्षेत्र उपलब्ध होने के कारण बागवानी, फ्लोरीकल्चर एवं कृषि के विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक अवसर उपलब्ध हैं।
- ❖ राज्य में अन्य खनिजों के अतिरिक्त चूना पत्थर, सोप स्टोन, मैग्नेसाइट इत्यादि के खनिज भण्डार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। संसाधनों का मानचित्रीकरण किया जा रहा है।
- ❖ राज्य में पर्यटन, प्राद्यम (एडवैन्चर), अवकाश, पर्यावर्णीय पर्यटन विशेष कर धार्मिक एंव आध्यात्मिक, की वृहद सम्भावनाओं की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए पारम्परिक निवेश सम्भावनाओं के अतिरिक्त इनसे सम्बन्धित सेवाओं हेतु नये बाजारों के विस्तार की अपार सम्भावनायें है।
- ❖ राज्य की साक्षरता दर 72 प्रतिशत है जो स्वयं ही उच्च स्तरीय मानव संसाधनों की उपलब्धता का सूचक है । राज्य में उच्च कोटि के अनेक शिक्षा संस्थानों की उपलब्धता के साथ अनेक उत्कृष्ट राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय अनुसन्धान व प्रशिक्षण संस्थान भी उपलब्ध हैं ।
- ❖ राज्य में औद्यौगिक विकास एंव अच्छी जीवन शैली हेतु आवश्यक शान्तिपूर्ण एवं प्रदूषण रहित वातावरण उपलब्ध है। राज्य की कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा स्थिति अत्यन्त उत्तम है।
- ❖ राज्य में विद्युत ऊर्जा स्रोत बहुतायत में उपलब्ध होने के कारण अच्छी गुणवत्ता की विद्युत ऊर्जा निर्बाधित, प्रति स्पर्धात्मक व वहनीय दरों पर उपलब्ध होगी ।
- ❖ श्रम कानूनों के सरलीकरण एवं उन्हे तर्कसंगत बनाने की कार्यवाही की जा रही है ।

- ❖ राज्य के देहरादून नगर में एक अर्थ स्टेशन स्थित है तथा दो अन्य स्थानों पर भी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्यौगिकी पार्क की स्थापना भी प्रक्रिया में है।
- ❖ राज्य में लीची/फल, फ्लोरीकल्चर, जडी बूटी एंव औषधीय पौधों तथा बासमती चावल हेतु चार निर्यात क्षेत्र हैं ।
- ❖ माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उद्योग मित्र की स्थापना की गयी है ।
- ❖ बहुउद्देशीय औद्यौगिक प्रोत्साहन, निवेश एवं अवस्थापना विकास निगम के रूप में उत्तरांचल राज्य औद्यौगिक विकास निगम की स्थापना की गयी है, जिसमें बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं जैसे कि सिडबी, आई0सी0आई0सी0आई0, एल0 आई0 सी0 भागीदारी हेतु वचनबद्व हैं एवं इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं की भागीदारी प्रस्तावित है ।
- ❖ खादी एंव ग्रामोद्योग, लद्यु उद्योग, कुटीर उद्योग, ऊन आधारित उद्योग, हथकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प उद्योगों के लिये विपणन सहायता।
- ❖ पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के समीप प्रमुख बायोटेक्नोलोजी संकुल की स्थापना प्रस्तावित है।
- ❖ राज्य द्वारा ऐसी प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है जिससेः–
    - o प्रदेश में एकल खिड़की सुगमता व्यवस्था (Single Window Facilitation) लागू कर निवेशकों के साथ मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाने में सहायता मिले, ताकि अनावश्यक विलम्ब से बचा जा सके।
    - o औद्यौगिक उपक्रमों एवं अवस्थापना परियोजनाओं हेतु भूमि त्वरित गति से उपलब्ध करायी जा सके।
    - o बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के कन्सोर्शियम के माध्यम से वित्तीय सहायता का प्रबन्ध कराया जा सके।
    - o औद्यौगिक आस्थानों, विकास केन्द्रों, एकीकृत विकास केन्द्रों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों एवं विशेष उत्पादों हेतु औद्यौगिक पार्क, थीम पार्कों, पर्यटकीय अवस्थापना सुविधाओं, नये पर्यटन स्थलों, हवाई अड्डों/हैली पैडों/हवाई पट्टियों, सड़क, विद्युत पारेषण एवं वितरण, तथा हार्टीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, बायो प्रौद्यौगिकी सम्बन्धी परियोजनाओं के विकास एवं प्रबंधन हेतु निजी क्षेत्र सहभागिता को विकसित एवं प्रोत्साहित किया जायेगा ।

वित्तीयः–

- ❖ भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष प्रोत्साहन पैकेज की नकारात्मक सूची में दर्शायी गई इकाइयों को छोड़कर, अन्य सभी इकाइयों पर दस वर्ष तक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पर शत प्रतिशत छूट।
- ❖ आयकर में पहले 5 वर्षों तक शत–प्रतिशत छूट, तदोपरान्त अगले 5 वर्षों के लिए कम्पनियों को 30 प्रतिशत की छूट तथा अन्य को 25 प्रतिशत की छूट देय होगी।
- ❖ 15 प्रतिशत की दर से पूंजी निवेश उपादान अधिकतम रूपये 30 लाख तक ।
- ❖ केन्द्रीय परिवहन उपादान सुविधा वर्ष 2007 तक बढायी गयी है।
- ❖ नये उद्योगों की स्थापना अथवा स्थापित उद्योगों के विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु क्रय किये जाने वाले संयत्रों एवं मशीनों पर प्रवेश कर में छूट।
- ❖ भू–उपयोग परिवर्तन एवं विकास शुल्क व प्रक्रिया को तर्क संगत बनाया जायेगा ।
- ❖ सूचना प्रौद्यौगिकी पार्क तथा अन्य विशेष वस्तु (कमोडिटी) पार्कों की स्थापना हेतु दी जाने वाली भूमि पर रियायती स्टाम्प शुल्क लागू होगा।
- ❖ ब्याज प्रोत्साहन के रूप में 3 प्रतिशत की दर से अधिकतम रू0 2 लाख प्रतिवर्ष प्रति इकाई उपलब्ध कराया जायेगा। यह प्रोत्साहन केवल नये लघु उद्योगों को तथा वर्तमान में कार्यरत लघु इकाइयों को उनके आधुनिकीकरण एवं पर्याप्त विस्तारीकरण हेतु तभी उपलब्ध होगा जबकि उन्होने राज्य वित्तीय संस्थाओं अथवा उत्तरांचल में स्थित किसी बैंक से ऋण लिया हो तथा मूलधन व ब्याज के भुगतान में किसी प्रकार की चूक न की हो। दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले लघु उद्योगों एवं थ्रस्ट उद्योगों के रूप में अभिज्ञापित इकाईयों हेतु इस ब्याज प्रोत्साहन की अनुमन्य दर 5 प्रतिशत होगी जिसकी अधिकतम सीमा रू0 3 लाख प्रति वर्ष होगी यह ब्याज प्रोत्साहन केवल उन्ही इकाइयों को उपलब्ध होगा जो प्रोत्साहन की अन्तिम किश्त मिलने की तिथि के बाद कम से कम 03 वर्षों तक कार्यरत रहेगीं अन्यथा शासन को अधिकार होगा कि प्रोत्साहन की उपभोगित समस्त राशि इकाई से वसूल कर ली जाये।
- ❖ ब्याज प्रोत्साहन के अन्तर्गत, पर्याप्त विस्तारीकरण का तात्पर्य उस अतिरिक्त निवेश से है, जो स्थापित उद्योगों की संयंत्र व मशीनों के मूल्यह्रास रहित स्थिर पूंजी (बुक वैल्यू) के 25 प्रतिशत से कम न हो।

- ब्याज प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत इकाई के आधुनिकीकरण का तात्पर्य किसी उद्योग में संयंत्र व मशीनों के क्रय तथा तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने हेतु किये गए उस नए पूंजी निवेश से होगा जिसकी राशि संयंत्र व मशीन की मूल्य ह्रास रहित (बुक वैल्यू) के 25 प्रतिशत तक या उससे अधिक होगी।
- रूग्ण लघु इकाइयों के पुनरोद्धार पुनर्जीवीकरण हेतु 3 प्रतिशत की दर से अधिकतम रू0 2 लाख प्रतिवर्ष ब्याज प्रोत्साहन उन इकाइयों को उस ऋण पर दिया जाएगा, जिनके पुनरोद्धार प्रस्ताव के अन्तर्गत किसी वित्तीय संस्था अथवा बैंक से ऋण प्रस्ताव निश्चित कर लिए गये हों । औद्यौगिक इकाई के दूरस्थ स्थलों में स्थित होने की दशा मे ब्याज उपादान की धनराशि 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम रू0 3 लाख तक उपलब्ध कराई जाएगी । यह ब्याज उपादान केवल उन्ही इकाइयों हेतु अनुमन्य होगा, जो उपादान राशि की अन्तिम किश्त मिलने की तिथि के बाद कम से कम 3 वर्ष तक कार्यरत रहेंगी अन्यथा शासन को उपादान की उपभोगित सम्पूर्ण धनराशि को वसूल करने का अधिकार होगा।
- गैर लधु उद्योगों की रूग्ण इकाइयों के पुनरोद्धार पुनर्जीवीकरण हेतु वित्तीय संस्थाओं / बैंकों / आपरेटिंग एजेन्सी द्वारा तैयार किये गए वांछित प्रस्तावों पर शासन द्वारा सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा।
- राज्य में सभी मल्टीप्लैक्स परियोजनाओं हेतु प्रथम तीन वर्ष तक तथा सभी नये मनोंरजन पार्क व रोप–वे परियोजनाओं हेतु प्रथम पांच वर्ष तक मनोरंजन कर में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
- इकाई द्वारा उत्पादित माल की गुणवत्ता हेतु राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा प्रदत्त आई0एस0ओ0 सर्टीफिकेशन आदि हेतु उद्यमियों द्वारा व्यय की गई धनराशि का 75 प्रतिशत या अधिकतम रूपये दो लाख अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा, परन्तु इस हेतु सभी स्रोतों से प्राप्त अनुदान/ प्रतिपूर्ति की धनराशि, इस मद में किये गये व्यय से अधिक नहीं होगी ।
- प्रदूषण नियंत्रक उपकरण स्थापित करने हेतु कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम एक लाख रूपये उद्यमियों को अनुदान के रूप में दिया जाएगा। बशर्ते कि इस मद में सभी स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान/प्रतिपूर्ति इस मद में किये गये व्यय से अधिक न हो।

- ❖ उत्पाद का पेटेन्ट पंजीकृत कराने हेतु किये गये व्यय का 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम 2 लाख रू0 प्रतिपूर्ति/अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा, बशर्ते कि इस मद में सभी स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान/प्रतिपूर्ति, इस मद में किये गये व्यय से अधिक न हो।
- ❖ प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को निर्माण इकाइयों की स्थापना/सेवा उद्योगों हेतु अधिकतम रू0 2 लाख की वित्तीय ऋण सहायता तथा व्यापार क्षेत्र में निवेश करने हेतु अधिकतम रू0 1 लाख की वित्तीय ऋण सहायता उपलब्ध कराई जायेगी । साथ ही अनुदान के रूप में कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत, अधिकतम 15000 रू0 भी प्रदान किये जायेंगें। इसके लिए आयु सीमा 35 वर्ष से 40 वर्ष कर दी गई है।
- ❖ रोजगार उपलब्ध कराने वाली इकाईयों को प्रोत्साहन दिया जायेगा।
- ❖ राज्य में स्थित लघु स्तरीय औद्यौगिक इकाईयों को राजकीय खरीददारी पर क्रय वरीयता एवं मूल्य वरीयता प्रदान की जायेगी।
- ❖ राज्य की गैर लघु स्तरीय औद्यौगिक इकाईयों को राज्य से बाहर स्थापित इकाईयों के सापेक्ष क्रय वरीयता दी जायेगी।
- ❖ नेशनल हार्टीकल्चर बोर्ड, (एनएचबी) एग्रीकल्चर एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डैव्लपमेन्ट ऑथौरिटी (एपीडा), नेशनल मेडिसिनल प्लान्ट बोर्ड (एनएमपीबी) द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं हेतु उपलब्ध अनुदान के समानान्तर राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 20 लाख रूपये का अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह भी होगा कि अनुदान की कुल राशि परियोजना की लागत के 50 प्रतिशत से अधिक न हो।

नीतिगत व्यवस्था

संस्थागत प्रक्रिया

एकल खिड़की संम्पर्क, सूचना एवं सुगमता।

- इस योजना को जिला स्तर पर जिला उद्योग केन्द्रों तथा राज्य स्तर पर उत्तरांचल राज्य औद्यौगिक विकास निगम (सिडकुल) द्वारा लागू किया जायेगा। ये केन्द्र सभी प्रकार की सूचनायें एवं एस्कॉर्ट सेवाएं उद्यमियों को उपलब्ध करायेंगे।
- इन केन्द्रों पर डाटा बैंक की भी स्थापना की जायेगी तथा संयुक्त आवेदन पत्र एवं अन्य संबंधित सूचनायें भी उद्यमियों को उपलब्ध कराई जायेंगी।
- जिला उद्योग केन्द्र, उत्तरांचल राज्य औद्यौगिक विकास निगम के जिला कार्यालय के रूप में भी कार्यरत है।

एकल खिड़की निकासी प्रक्रियाः–

- माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया जायेगा। संबंधित मंत्री, सरकारी अधिकारी, शीर्ष उद्योगपति, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ इसके सदस्य होंगे।
- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय निवेश एवं अवस्थापना सुविधा समिति की स्थापना की जायेगी, संबंधित सचिव जिसके सदस्य होंग।, यह समिति अन्तर्विभागीय मुद्दों से जुड़ी तथा अन्य परियोजनाओं पर त्वरित निस्तारण हेतु संस्तुति माननीय मुख्य मंत्री जी के समक्ष अन्तिम अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी।
- जिला स्तर पर एकल खिड़की निकासी प्रक्रिया के सहायतार्थ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी।
- जिला उद्योग केन्द्र एवं सिडकुल क्रमशः इन जिला एवं राज्य स्तरीय समितियों के सचिवालय के रूप में कार्य करेंगे।

स्वस्वीकृत निकासी (Deemed Clearence)

यथा सम्भव स्वस्वीकृत निकासी तंत्र की स्थापना की जायेगी एवं विभिन्न सम्बन्धित विभागों के सम्बन्ध में कार्यों की समय सीमा निर्धारित की जायेगी। अन्य वैधानिक, वित्तीय एवं केन्द्र सरकार से संबंधित निकासियों के लिए उद्यमियों को राज्य सरकार द्वारा हर सम्भव सहायता उपलब्ध करायी जायेगी एवं उद्यमियों को एस्कोर्ट सेवायें भी उपलब्ध कराई जायेंगी।

उद्योग मित्र :

माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उद्योग मित्र का गठन किया गया है जो विचार–विमर्श, नीतिगत व समस्याओं के निस्तारण हेतु एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करेगी। सभी सम्बन्धित मंत्रिगण, सरकारी अधिकारी, बैंक, वित्तीय संस्थाओं व औद्यौगिक ऐसोसिएशन के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे।

जिला स्तर पर, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उद्योग मित्र उपरोक्त आशय हेतु कार्यशील है। विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, बैंको, वित्तीय संस्थाओं एवं औद्यौगिक संगठनों के प्रतिनिधियों को इसमें सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है।

भूमि :

राज्य सरकार नये औद्यौगिक क्षेत्रों का विकास कर रही है, जिसमें उद्यमियों की आवश्यकता, प्राथमिकता एवं उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें शीघ्र ही भूमि/ भूखण्ड उपलब्ध कराये जायेंगे। राज्य सरकार द्वारा विकसित व निर्दिष्ट विशेष औद्यौगिक क्षेत्रों, थीम पार्कों व आई टी पार्कों में आवंटित भू–खण्डों हेतु रियायती स्टाम्प शुल्क देय होगा। भू–उपयोग परिवर्तन एवं विकास शुल्क तथा प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाया जायेगा।

राज्य सरकार ने भारत सरकार द्वारा घोषित औद्यौगिक पैकेज के सन्दर्भ में अभिज्ञापित करने हेतु औद्यौगिक क्षेत्रों को चिन्हित किया है। ऐसे क्षेत्रों को समय समय पर आवश्यकतानुसार राज्य सरकार द्वारा अभिज्ञापित किया जायेगा। राज्य सरकार आवश्यकतानुसार इन क्षेत्रों में उद्यमियों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु सहायता करेगी।

निजी क्षेत्र की सहभागिता :

राज्य सरकार विशेष औद्यौगिक क्षेत्रों, आर्थिक क्षेत्रों, निर्यात क्षेत्रों, खाद्य पार्कों, थीम पार्कों, बायोपोलिस, पर्यटक स्थलों, विद्युत ऊर्जा उत्पादन, पारेषण व वितरण, सड़कों, विमान पत्तन, आई0सी0डी0, एकीकृत औद्यौगिक नगरों, नागरिक अवस्थापनाओं सहित अन्य अवस्थापना क्षेत्रों की परियोजनाओं में निजी क्षेत्रों की सहभागिता आमंत्रित करती है।

अवस्थापना सुविधायें :

इन परियोजनाओं को गुण–अवगुण के आधार पर विशेष सुविधायें उपलब्ध कराने पर विचार किया जाएगा। इस संदर्भ में राज्य सरकार एवं आई0डी0एफ0सी0 के सहयोग से एक संयुक्त उपक्रम कम्पनी उत्तरांचल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट कम्पनी (यूडेक) के नाम से गठित की गयी है, जो कि राज्य सरकार को ऐसी अवस्थापना परियोजनाओं हेतु आवश्यक वृत्तिक (प्रोफेशनल) सेवायें उपलब्ध करायेगी।

बृहद परियोजनायें:

प्रदेश में प्रस्तावित रू0 50 करोड़ से अधिक के पूंजी निवेश वाली अथवा राज्य के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण परियोजनाओं हेतु प्रत्येक योजना के गुणावगुण के आधार पर अतिरिक्त प्रोत्साहन स्वीकृति तथा सुविधा इत्यादि देने पर राज्य स्तरीय निवेशक अवस्थापना समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

वित्त :

राज्य सरकार, सिडकुल के माध्यम से, बैकों तथा वित्तीय संस्थाओं से कन्सोर्शियम व्यवस्था द्वारा समय से एवं पर्याप्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। उचित परियोजनाओं हेतु राज्य सरकार द्वारा वेन्चर कैपिटल फन्ड से वैन्चर कैपिटल व्यवस्था कराने का प्रयास किया जायेगा। राज्य सरकार राज्य में वैन्चर कैपिटल फन्ड स्थापित करने पर भी विचार करेगी।

ऊर्जा :

- उत्तरांचल राज्य में पर्याप्त विद्युत उपलब्ध है तथा वर्तमान दशक की समाप्ति तक 5000 मेगा वाट अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन बढाने का लक्ष्य रखा गया है। कई लघु एवं मध्यम जल विद्युत परियोजनाओं को निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र एवं संयुक्त क्षेत्र में विकसित करने हेतु चिन्हित किया

जा चुका है। इस प्रकार राज्य में प्रस्तावित औद्यौगिक इकाइयों को उचित दर पर निर्बाध एवं उच्च गुणवत्ता वाली विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाएगी।

- ऊर्जा नियामक अधिनियम के अनुसार राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा राज्य में विद्युत दरों का निर्धारण व विनियमन किया जायेगा। तथापि विद्युत उत्पादन क्षमता में अभिवृद्धि, वर्तमान उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के फलस्वरूप राज्य में आकर्षक व प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर विद्युत उपलब्ध करायी जायेगी।
- राज्य में पीक आवर विद्युत उपयोग पर कोई पाबन्दी नहीं है तथापि राज्य में कन्टीन्युअस व नॉन कन्टीन्युअस दरों का निर्धारण नियामक आयोग द्वारा किया जायेगा ।
- विद्युत वितरण तंत्र हेतु किये जा रहे वृहद निवेश के कारण सिस्टम लोडिंग शुल्क को प्रभावी मात्रा में कम करने में सहायता मिलेगी ।
- 50 बी0एच0पी0 तक विद्युत भार की स्वीकृति जिला स्तरीय उद्योग मित्र द्वारा जारी की जायेगी, तथा 50 बी0एच0पी0 से अधिक की स्वीकृतियां उत्तरांचल पावर कारपोरेशन की क्षेत्रीय समिति द्वारा जारी की जाएंगी।
- न्यूनतम शुल्क मासिक बिल में सम्मिलित किया जएगा।
- औद्यौगिक उपभोक्ताओं को इस बात का विकल्प होगा कि वे पंजीकृत अभियंताओं/ठेकेदारों के द्वारा उत्तरांचल पावर कार्पोरेशन के निकटतम सब–स्टेशन से अपनी लाईन स्वयं मूल्य वहन कर खिंचवा सकते हैं।

श्रम कानूनों का सरलीकरण :

- श्रमिकों के हितों को सुरक्षित रखते हुए श्रम कानूनों को इस प्रकार सरलीकृत किया जाएगा कि औद्यौगीकरण हेतु उचित वातावरण तैयार हो सके।
- कागजी कार्यवाही को कम करने के दृष्टिकोण से रिटर्नो के समामेलन एवं स्वतः प्रमाणीकरण की व्यवस्था लागू की जाएगी।
- निरीक्षण प्रक्रिया का उद्देश्य दण्डात्मक न होकर सुधारात्मक होगा ताकि उद्यमियों को असुविधा का सामना न करना पड़े।

दूरस्थ स्थल :

उत्तरांचल राज्य का अधिकतर भू–भाग पर्वतीय एवं दूरगामी है। ऐसे क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं की कमी के साथ बाजार व्यवस्था उपलब्ध कराने में कई बाधाऐं हैं। राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों के समुचित औद्यौगीकरण हेतु निम्न प्रयास किये जायेगें:–

- राज्य में समुद्र तल से 3000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले सभी क्षेत्रों को राज्य ब्याज प्रोत्साहन हेतु दूरस्थ क्षेत्र माना जाएगा।
- ब्याज प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित होने वाली इकाइयों को अधिक ब्याज प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा, जो कि 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 3 लाख रू0 प्रति वर्ष की सीमा तक देय होगा। ब्याज प्रोत्साहन उन इकाइयों को ही अनुमन्य होगा जो इस प्रोत्साहन की अन्तिम किस्त प्राप्त होने के तीन वर्ष उपरान्त तक कार्यरत रहेंगी, अन्यथा इकाई को भुगतान की गयी प्रोत्साहन धनराशि की वसूली का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।
- राज्य सरकार इन दूरस्थ क्षेत्रों में अवस्थापना एवं अन्य सामान्य सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान देगी।

खादी एवं ग्रामोद्योग :

खादी, एवं ग्रामोद्योग, कुटीर व लघु उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया जायेगा।

- पैकेजिंग एवं विपणन हेतु सामान्य सुविधा केन्द्रों का विकास किया जायेगा। निजी विपणन संस्थाओं के माध्यम से उत्तरांचल में निर्मित वस्तुओं की ब्रान्डिग तथा विपणन हेतु विश्व के अन्य देशों को निर्यात किये जाने के सूत्र विकसित करने का प्रयास किया जायेगा ।
- खादी रेशम सहित उपभोक्ता मांग के अनुरूप नवीनतम अभिकल्प विकसित करने हेतु सहायता प्रदान करने का प्रयास किये जायेंगे ।
- राज्य सरकार द्वारा खादी वस्त्र से निर्मित पूर्व निर्मित परिधान (रेडीमेड गारमेन्टस) एंव उनकी गुणवत्ता के मानकीकरण हेतु सहायता उपलब्ध करायी जायेगी ।

लघु उद्योग :

- ❖ राज्य में स्थापित होने वाले लघु उद्योगों को आधुनिक तकनीक अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा तथा राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले क्रय में मूल्य एवं क्रय वरीयता प्रदान की जाएगी।
- ❖ राज्य में स्थापित होने वाली नई लघु औद्यौगिक इकाइयों को राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं/बैंको से ऋण लेने पर देय ब्याज पर 3 प्रतिशत अधिकतम रू0 2 लाख प्रति इकाई प्रति वर्ष ब्याज प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही स्थापित इकाइयों के आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण पर भी यह सुविधा उपलब्ध होगी, बशर्ते कि इन इकाइयों द्वारा ऋण एवं ब्याज का भुगतान समय पर किया जाता है। दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों हेतु यह सीमा 5 प्रतिशत की दर पर अनुमन्य होगी जिसकी अधिकतम सीमा रू0 3 लाख होगी।
- ❖ रूग्ण लघु इकाइयों के पुनर्निर्माण /पुनर्जीवीकरण हेतु बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा इस हेतु लिए गये ऋण पर 3 प्रतिशत की दर से अधिकतम रू0 2 लाख प्रति वर्ष देय होगी। दूरस्थ क्षेत्रों में यह सीमा 5 प्रतिशत की दर से किन्तु अधिकतम रू0 3 लाख प्रति वर्ष तक होगी। ऋण प्रोत्साहन सहायता हेतु अनिवार्य होगा कि लाभान्वित इकाई अन्तिम किश्त के भुगतान के उपरान्त तीन वर्ष तक कार्यरत रहेगी अन्यथा उपभोगित धनराशि की वसूली का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।
- ❖ लघु उद्योग इकाइयों के अतिरिक्त अन्य श्रेणी की इकाइयों के पुनरोद्धार हेतु बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, आपरेटिंग ऐजेन्सी द्वारा तैयार किये गये पुनर्जीवीकरण पैकेज पर राज्य सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी।

विपणन सहायता:

- ✓ गुणवत्ता के मानकों का अनुपालन करते हुये उत्तरांचल में स्थापित लघु उद्योगों को राज्य में स्थापित बड़ी इकाइयों तथा अन्य राज्यों में स्थापित इकाइयों की तुलना में क्रय वरीयता एवं मूल्य वरीयता प्रदान की जाएगी।
- ✓ स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए राजकीय खरीद में निविदाओं के विश्लेषण के समय व्यापार कर को प्रथक रखकर मूल्य की तुलना की जायेगी।
- ✓ राज्य की लघु उद्योग इकाइयों के अतिरिक्त अन्य इकाइयों को भी राज्य के बाहर की इकाइयों की तुलना में क्रय वरीयता उपलब्ध करायी जायेगी।

- ✓ राज्य के लघु उद्यमियों को क्रेता विक्रेता सम्मेलनों के आयोजन तथा व्यापार मेलों में भागीदारी के माध्यम से विपणन सहायता उपलब्ध करायी जायेगी ।

हस्तशिल्पः

उत्तरांचल में परम्परागत हस्त शिल्प उत्पादों की सम्भावनाओं का दोहन प्रभावी विपणन, अभिकल्प उच्चीकरण व पर्याप्त बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज के क्षेत्रों में सघन सहायता देकर किया जायेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना एवं अन्य केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत शिल्पकारों एवं हस्तशिल्पियों के सहायतार्थ एक पैकेज उपलब्ध कराया जायेगा जिसके अन्तर्गत मूल अवस्थापना सुविधायें यथा विश्लेषणात्मक सर्वे एवं परियोजना प्लान, शिल्पियों का मोबिलाइजेशन, प्रशिक्षण, अभिकल्प विकास, नई तकनीक, पैकेजिंग, सामान्य सुविधा केन्द्र, विपणन क्रिया कलाप, प्रदर्शनियों, एम्पोरियम एवं प्रचार आदि की व्यवस्था होगी।

विभिन्न प्रोत्साहनों के माध्यम से परम्परागत शिल्पों जैसे – ऊनी कार्पेट, वुड कार्विंग, रिंगाल शिल्प एवं ताम्र शिल्प आदि को प्रोत्साहित किया जायेगा। ये प्रोत्साहन निम्नानुसार हैंः–

- o मास्टर क्राफ्ट मैन के माध्यम से प्रशिक्षण का कार्य उनके क्षेत्रों/ग्रामों में ही कराया जायेगा, जिन्हे शिल्प ग्राम के रूप में विकसित किया जायेगा ।
- o हस्तशिल्प उत्पादों को प्रोत्साहित व विकसित करने हेतु इन्हे प्रतीक चिन्ह (souvenir items) के रूप में पर्यटक स्थलों एवं वाणिज्यिक केन्द्रों पर राज्य में तथा राज्य से बाहर विपणन सहायता उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जायेगी।
- o निजी क्षेत्र की सहभागिता से शो–रूमों का विकास, मेलों के आयोजनों एवं प्रचार–प्रसार से इन सामग्रियों के निर्यात को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जायेगा ।
- o देहरादून में एक अरबन हाट का विकास किया जा रहा है एंव अन्य जनपदों में विपणन एंव प्रदर्शन हेतु हस्त शिल्प वस्तुओं के ग्रामीण शिल्प केन्द्र विकसित किये जा रहे हैं ।
- o नैनीताल जनपद में एक क्राफ्ट डिजाईन सेन्टर विकसित करना प्रस्तावित है जहां मार्केट आवश्यकता की दृष्टि से नये डिजाइन एवं सामान विकसित किये जायेंगे।
- o हीरा तराशी, पालिशिंग एवं अन्य नगीनों के उद्योग को बढ़ावा देने हेतु शासन द्वारा जेम एवं ज्वैलरी पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

हथकरघाः–

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन हेतु यह उद्योग अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

- दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियों एवं पंजीकृत समूहों को लाभ पहुॅचाने की कार्यवाही की जायेगी । इन समूहों के सदस्यों को प्रशिक्षण देकर उन्हें आधुनिक करघे तथा अभिकल्प उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- इन उत्पादों के विपणन में सहायता प्रदान करने के लिए सार्वजनिक एवं निजी सहभागिता के माध्यम से शो –रूम स्थापित कराने तथा उनके उत्पादों के निर्यात हेतु प्रेरित करने की कार्यवाही की जायेगी।
- डिजाइन केन्द्रों की स्थापना, विस्तार एवं आधुनिकीकरण का कार्य भी कराया जाएगा।
- राज्य सरकार द्वारा एकीकृत हथकरघा काम्पलेक्सों की स्थापना का प्रस्ताव है जिनमें, रंगाई, कार्डिगं तथा डिजाइनों के विकास आदि की सुविधा हो।
- रेशम एवं रेशम उत्पादों को विशेष जोर दिये जाने वाले उद्योगों की श्रेणी में घोषित किया जा चुका है। राज्य में उच्च स्तरीय रेशम की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये रेशम उत्पादन एवं इससे सम्बन्धित कार्य–कलापों को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा वर्तमान उद्योगों के आधुनिकीकरण और मूल्य सर्वधन (वैल्यू एडीशन) के लिये किये जा रहे प्रयासों को बढ़ावा दिये जाने हेतु कदम उठाये जायेंगे।

ऊन आधारित उद्योगः

⇒ इस उद्योग के विकास हेतु अच्छी किस्म के कच्चे माल की उपलब्धता में सुधार, ऊन प्रसंस्करण, छटाई, ग्रेडिंग एवं गुणवत्ता व डिजाइन सुधार व्यवस्था, विपणन व्यवस्था का सुदृढीकरण, शिल्पियों को प्रशिक्षण, एवं संस्थागत वित्त उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया जायेगा।

⇒ गैर परंपरागत पशु ऊन रेशों को भी प्रोत्साहित एवं विकसित किया जाएगा।

⇒ बैकवर्ड लिंकेज के विकास द्वारा वैज्ञानिक पद्धति से श्रेणीकरण, कटाई, छटाई व अन्य ऊन प्रसंस्करण कार्यों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

⇒ उत्पाद विविधीकरण, सुधार, तकनीकी उच्चीकरण, प्रशिक्षण, विपणन सहायता, आदि को व्यवस्थित तरीके से विकसित किया जाएगा।

⇒ ऊन बैंक तथा ऊन नीलामी चौक तथा ऊन प्रसंस्करण, श्रेणीकरण, छटाई हेतु एकीकृत प्रोसेसिंग व ग्रेडिंग हेतु एकीकृत संकुल (काम्पलैक्स) समुचित स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे।

कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगः–

राज्य में भण्डारण, प्रसंस्करण एवं परा फसल प्रबन्धन की पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में बड़ी मात्रा में कृषि आधारित उत्पाद नष्ट हो जाते हैं। राज्य के प्राकृतिक लाभ व सम्भावनाओं तथा फसलों व जलवायु की विविधता का विदोहन तथा इस क्षेत्र का विकास एवं सुदृढीकरण करने के प्रयास किये जायेंगे। केन्द्र तथा राज्य सरकार के सभी विभागों की सम्बन्धित योजनाओं में तारतम्य स्थापित करते हुये बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेजों का विकास किया जायेगा।

- राज्य सरकार द्वारा छोटे एवं मध्यम प्रकार के कृषि पार्कों, खाद्य पार्कों के विकास में सहायता प्रदान की जायेगी जो भण्डारण, प्रसंस्करण, छंटाई एवं विपणन हेतु अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध करायेंगे, ताकि वर्तमान की भांति अतिरिक्त फल एवं सब्जियों को बरबाद होने से बचाया जा सके।
- भारत सरकार की कृषि निर्यात क्षेत्र (AEZ) योजना के अन्तर्गत चार AEZ लीची, उद्यान, जड़ी बूटी, औषधीय पौधे एवं बासमती चावल के लिये विकसित किये जा चुके हैं। राज्य में निर्यात हेतु प्रोत्साहन तथा घरेलू एवं निर्यात बाजार उपलब्ध कराने हेतु प्रयास जारी रखे जायेगें।
- मजबूत, आकर्षक तथा ईकोफ्रेण्डली पैकेजिंग सामग्री के निर्माण के उद्देश्य से राज्य के पैकेजिंग उद्योग के आधुनिकीकरण हेतु विशेष प्रयास किये जायेंगे।
- फलों एवं सब्जियों को बरबादी से बचाने के दृष्टिकोण से सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र भागीदारी में परा फसल प्रबंधन में अवस्थापना के विकास एवं उद्यान उत्पाद के विपणन हेतु एकीकृत तंत्र 'कूल चेन' विकसित करने हेतु कार्यवाही की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा प्रतिष्ठित एवं गैर सरकारी संस्थानों एवं सार्वजनिक व निजी कम्पनियों की साझेदारी के अन्तर्गत आधुनिक तकनीक व विपणन लिंकेजेज उपलब्ध कराने हेतु उद्यानिकी फार्म विकसित करने हेतु प्रयास किये जायेंगे।
- केन्द्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा उत्तरांचल को दुर्गम क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है। अतः उत्तरांचल में स्थापित होने वाली इकाइयां खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं में अधिक सुविधाओं हेतु पात्र होंगी।

- राज्य सरकार द्वारा कतिपय परियोजनाओं में एपीडा, नेशनल हार्टीकल्चर बोर्ड, केन्द्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, प्राकृतिक औषधीय पादप बोर्ड की योजना के समानान्तर 20 लाख की अधिकतम सीमा तक अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

फ्लोरीकल्चरः–

उत्तरांचल में प्रायः सभी प्रकार की कृषि, भू–जलवायु क्षेत्रों की उपलब्धता है जो कि वाणिज्यिक फ्लोरीकल्चर के विकास में सहायक है। उत्तरांचल सरकार द्वारा घरेलू व निर्यात बाजार के विकास हेतु प्रयास किये जायेंगे जिसके द्वारा कृषकों के लिये रोजगार सृजन व आय के अवसर उपलब्ध होंगे।

- इस क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया जायेगा।
- पैकिंग, छटाई, प्रसंस्करण, प्री–कूलिंग, कोल्ड चेन तथा विपणन जैसी सामान्य सुविधाओं वाले फ्लोरीकल्चर पार्को का विकास प्रस्तावित है।
- उच्च श्रेणी के **रूट स्टाक** व रोपण सामग्री के संग्रहण व परिवहन व्यवस्था के लिये विकास केन्द्रों के माध्यम से अवस्थापना का विकास किया जायेगा। देहरादून तथा पंतनगर के पास हवाई पट्टियों का इस प्रकार विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जायेगा कि वहां पर हवाई कार्गो सुविधा उपलब्ध हो सके।
- एपीडा, राष्ट्रीय उद्यानीकरण बोर्ड, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय आदि संस्थाओं से प्राप्त होने वाले सहयोग को सूचीबद्ध करने का प्रयास किया जायेगा।

चाय उद्योगः

हाल ही में लघु, सीमांत तथा भूमि हीन श्रमिकों को जोड़ते हुए चाय की खेती का महत्वपूर्ण विस्तारीकरण एवं राज्य में चाय रोपाई के सघन प्रयास किये गए हैं। पूर्व में 560 एकड़ भूमि में चाय की खेती प्रारम्भ की जा चुकी है तथा आगामी कुछ वर्षो में पर्याप्त एवं अतिरिक्त भूमि को चाय की खेती से आच्छादित करना प्रस्तावित है। इस कार्य हेतु उपयुक्त भूमि का डाटा बेस बनाया गया है। राज्य में चाय प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग इकाइयों को प्रोत्साहन देने हेतु कार्यवाही की जाएगी ताकि उत्तरांचल को देश में प्रमुख चाय उत्पादक राज्य के रूप में स्थापित किया जा सके।

वन आधारित उद्योगः

राज्य का लगभग 65 प्रतिशत भू–भाग वन क्षेत्र है। अतः पर्यावरण संतुलन बनाये रखने के साथ–साथ वन संरक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण नियमों का पर्याप्त ध्यान रखते हुए राज्य में वन आधारित उद्योगों में विकास की प्रबल संभावनाएं हैं। राज्य में वन उत्पादों एवं अवशिष्टों जैसे चीड़ की पत्ती (पाईन नीडल), लैन्टाना, वनस्पतिक रेशों जैसे रामबांस इत्यादि पर आधारित उद्योगों की प्रर्याप्त संभावनाएं हैं। इस प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा शोध संस्थाओं का सहयोग लेकर उत्पाद विकास करने हेतु कार्यवाही की जाएगी।

गैर– काष्ठ आधारित उद्योगों जैसे कि बांस, रिंगाल, लीसा, गैर परम्परागत रेशे, दियासलाई, कागज एवं कागज आधारित उत्पादों, प्लाई बोर्ड/फ्लश बोर्ड, फर्नीचर, वुड–कार्विंग, स्पोर्टस गूड्स, खिलौना, पैन्सिल इत्यादि को उनके वृहत रोजगार अवसर एवं निर्यात सम्भावनाओं के दृष्टिगत प्रोत्साहित करने हेतु कदम उठाये जायेंगे।

पर्यटनः

- उत्तरांचल में पर्यटन की तथा पर्यटन क्षेत्र से संबंधित अवस्थापना के विकास हेतु कार्य कलापों एवं सेवाओं की विपुल सम्भावनायें हैं।
- उत्तरांचल में पर्यटन के विकास हेतु माननीय पर्यटन मंत्री जी की अध्यक्षता में एक वैधानिक शीर्ष संस्था ''उत्तरांचल पर्यटन परिषद'' का गठन किया गया है।
- उपलब्ध ख्यातिप्राप्त सलाहकारों के सहयोग से पर्यटन संबंधी परियोजनाओं की एक पुस्तिका (शेल्फ) तैयार की गई है, जो कि निजी क्षेत्र के निवेशकों हेतु उपलब्ध है। इसी प्रकार की अन्य सम्भावनायें भी चिन्हित की जाती रहेंगी जहां सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु पर्यटन के क्षेत्र में विकल्प उपलब्ध होंगे।
- राज्य में पर्यटन को थ्रस्ट उद्योग का दर्जा दिया गया है।
- राज्य में सभी नयी मल्टीप्लैक्स परियोजनाओं को तीन वर्ष तक मनोरंजन कर से 100 प्रतिशत मुक्त रखा गया है। एक विस्तृत पर्यटन नीति अलग से बनाई गई है जिसके प्राविधान निम्नवत् हैः–
    - नई पर्यटन इकाईयों को प्रारम्भ होने की तिथि से 5 वर्ष के लिये लक्जरी टैक्स में छूट /स्थगन प्रदान की जायेगी।

- नई पर्यटन इकाईयों को लग्जरी टैक्स में छूट अथवा स्थगन की सुविधा परियोजना लगाने के पॉच वर्ष तक उपलब्ध कराई जायेगी।
- राज्य में नई रोप–वे को स्थापित होने की तिथि से पॉच वर्षो तक मनोरंजन कर से छूट प्रदान की जायेगी।
- नये मनोरंजन पार्कों के पूर्ण रूप से स्थापित होने के पॉच वर्ष तक मनोरंजन कर से छूट प्रदान की जायेगी।

सूचना प्रौद्यौगिकी :–

सूचना प्रौद्यौगिकी सम्बन्धित सेवाओं तथा हार्डवेयर विकास हेतु राज्य प्राकृतिक रूप से प्राथमिकता वाला स्थान रहा है क्योंकि इनके उत्पादन हेतु पूर्व आवश्यकताएं प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं।

- सूचना प्रौद्यौगिकी एवं सम्बन्धित सेवाओं को उद्योग का दर्जा दिया गया है।
- उत्तरांचल में देहरादून में एस0टी0पी0आई0 एवं अन्य स्थानों पर प्रस्तावित अर्थ स्टेशन की स्थापना के माध्यम से तीव्र गति संयोजिता उपलब्ध कराई जायेगी।
- देहरादून में एक समर्पित आई0टी0 पार्क स्थापित किया जा रहा है तथा राज्य के दूसरे क्षेत्रों में भी आई0टी0 पार्क स्थापित करना प्रस्तावित है।
- भू–उपयोग व भूमि रूपान्तरण प्रक्रिया व शुल्क को युक्तिसंगत किया जायेगा।
- इन सेवाओं को जनहित सुविधाओं का दर्जा दिया जायेगा तथा उचित नियंत्रण, सुविधाएं तथा अवस्थापना के साथ महिलाओं को तीन पालियों में चौबीस घंटे काम करने की छूट प्रदान की जायेगी।
- घोषित आई0टी0 पार्क इण्डस्ट्रियल स्टेट में लगने वाले जनरेटर सैट्स को विद्युत कर से मुक्त रखा जायेगा।
- आई0टी0 पार्क में स्थापित की जा रही इकाईयों को स्टाम्प शुल्क में रियायत दी जायेगी।
- राज्य सरकार द्वारा सभी सौफ्टवेयर इकाईयों को 2 एम बी पी एस बैण्डविड्थ एक वर्ष तक निम्न प्राविधानों के अन्तर्गत निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगीः–

  (i) हार्डवेयर तथा इसके लगने की लागत को आवेदक द्वारा वहन किया जायेगा।

  (ii) बैण्डविड्थ अहस्तान्तरणीय व ''नौन–शेयरिंग'' होगी।

(iii) उद्यमी /इकाई बी0एस0एन0एल0/ वी0एस0एन0एल0/एस0टी0पी0आई0 अथवा किसी अन्य निजी सेवा प्रदाता से बैण्डविड्थ संयोजिता प्राप्त कर सकेगा, परन्तु बैण्डविड्थ की लागत एस0टी0पी0आई0 /बी0एस0एन0एल0 द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही अनुमन्य होंगी।

(iv) संयोजिता उपलब्ध कराने हेतु निम्न उपबन्ध होंगे:–

(क) <u>श्रेणी 1</u>

काल सेन्टरस

25 सीटर	512 केबीपीएस
50सीटर काल सैन्टर	1 एमबीपीएस
100 सीटर काल सैन्टर	2 एमबीपीएस

<u>(ख) श्रेणी 2</u>

आफ लाइन बी0पी0ओ0 एवं ऐसे अन्य संस्थान	उपरोक्त का एक चौथाई।

(ग) श्रेणी 3

ऑन लाइन बी0पी0ओ0 एवं ऐसे अन्य संस्थान	उपरोक्त का आधा

(घ) श्रेणी 4

उपरोक्त कार्यकलापों का मिश्रण	प्रथम श्रेणी में वर्णित अधिकतम सीमा तक

V. साइबर कैफे /जनता के मनोरंजन हेतु संस्थानों के लिए उपरोक्त छूट लागू नहीं होगी।

VI. इस छूट हेतु प्रारम्भिक तिथि, संयोजिता के प्रथम दिन से मानी जायेगी तथा यह सुविधा टुकड़ों में उपलब्ध नहीं होगी अपितु एक वर्ष तक लगातार लेनी होगी।

<u>बायोटेक्नालोजी :</u>

प्रसंस्करण उद्योग, पर्यावरणीय प्रबन्धन, मानव एवं पशु स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्यौगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य में पाई जाने वाली दुर्लभ पादप एवं पशुओं की प्रजातियां इसको नैसर्गिक लाभ प्रदान करती हैं। इस संदर्भ में एक मेमोरेण्डम रेबो इण्डिया(Rabo India)फाइनेन्स कम्पनी, इनफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन तथा पंत नगर विश्वविद्यालय के मध्य हुआ है जो कि खाद्य एवं कृषि क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु संयुक्त रूप से कार्य कर सामरिक सहयोग प्रदान करेंगे। बायोटेक्नोलोजी संस्थान की स्थापना

का प्रयास किया जायेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड का गठन किया जा रहा है।

इस क्षेत्र हेतु रणनीति में निम्नलिखित बिन्दुओं का समावेश किया जायेगा :–

- ✓ इस क्षेत्र में स्थापित होने वाली शोध एवं विकास संस्थाओं को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा तथा सूचना प्रौद्यौगिकी क्षेत्र को मिलने वाली सुविधाएं इस क्षेत्र पर भी लागू होंगी।
- ✓ विश्व में सर्वोतम सुविधाओं के समतुल्य राज्य में प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण स्थापित किया जायेगा।
- ✓ राज्य में उत्कृष्ट बायोटेक्नोलोजी शोध हेतु शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा तकनीकी रूप से सक्षम मानव संसाधन इस प्रकार विकसित किये जाऐंगें कि उत्तरांचल बायोटेक्नोलोजी के क्षेत्र में भूमण्डलीय स्तर पर उत्कृष्टता का केन्द्र बने।
- ✓ राज्य की कल्पना को पूरा करने के लिए पंत नगर में बायोपोलिस विकसित किया जायेगा। बायोइनफोर्मोटिक्स तथा जैव प्रौद्यौगिकी के व्यावसायिक विकास को गति देने के लिए संसाधनों को एकीकृत कर बायोटेक्नोलौजी पार्क का विकास किया जायेगा।

हर्बल एवं औषधीय पादप आधारित उद्योगः

उत्तरांचल में हर्बल, औषधीय पौधों तथा सुगन्धीय पौधों की दुर्लभ प्रजातियों का भण्डार है। राज्य सरकार इस क्षेत्र में आने वाले उद्योगों को करार के मांग के आधार पर संस्थागत शोध एवं विकास में सहायता कर इस क्षेत्र की संभावनाओ का दोहन करना चाहती है।

- इस उद्देश्य से केन्द्र सरकार एवं देशभर की विशेषज्ञता प्राप्त संस्थाओं के समन्वय के साथ एक एकीकृत कार्य योजना तैयार की गई है।
- इस उद्योग एवं पर्यटन के मध्य सामरिक लिंकेज एवं संयोजितविकसित की जायेगी।
- देश के अन्दर तथा विदेशों में विपणन व्यवस्थाओं पर विशेष बल दिया जायेगा।
- शोध संस्थानों एवं प्रतिष्ठित कम्पनियों के सहयोग से शोध एवं विकास कर नई औषधियों का वाणिज्यिक उत्पादन किया जयेगा।
- वैज्ञानिक आधार पर संविदा खेती को प्रोत्साहित किया जायेगा। विशेष रूप से राज्य के अन्दर अधिकतम मूल्य उन्नयन (Value Addition) पर प्रयास किया जायेगा।

- उत्तरांचल राज्य के सात जिलों को सम्मिलित करते हुये औषधीय व सुगन्धीय वनस्पति निर्यात जोन बनाया गया हैं तथा विशेष हर्बल पार्क बनाये जाने की प्रक्रिया में है।

बोतलीकरण (बॉटलिंग), वाइनरीज, ब्रिवरीज एवं मिनरल वाटरः–

- राज्य सरकार द्वारा अपनी आबकारी नीति की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। इस आबकारी नीति के अनुरूप बोतलीकरण, वाइनरीज एवं ब्रीवरीज उद्योगों की स्थापना हेतु सक्षम उद्यमियों के आवेदनों पर विचार किया जायेगा।
- उत्तरांचल अनेक नदियों का उद्गम स्थल है। ये जल स्त्रोत मिनरल वाटर उद्योग के लिये एक अच्छा आधार है। राज्य सरकार नये लगने वाले मिनरल वाटर बॉटलिंग प्लान्ट्स की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी।

रूग्ण इकाइयों का पुनर्ढांचाकरण एवं पुनर्जीवीकरणः

- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों द्वारा परिभाषित रूग्ण इकाइयों / रुग्णता की ओर अग्रसर इकाइयों का बैकों एवं वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर त्वरित गति से निस्तारण किया जायेगा।
- रूग्ण इकाइयों के पुनर्ढ़ाचाकरण एवं पुनर्जीवीकरण हेतु तैयार किये गये पैकेज में संबंधित आपरेटिंग ऐजेन्सी, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों द्वारा प्रदत्त किये जाने वाली राहत एवं सहायता पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति एवं राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय अन्तर्विभागीय समन्वय समिति (स्लिक) में विचार किया जायेगा।
- रूग्ण लघु श्रेणी की इकाइयों के पुनर्जीवीकरण एवं पुनरोद्धार हेतु तैयार किये गये पूर्ण रूप से संयोजित पैकेज हेतु वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त किये गये ऋण पर लगने वाले ब्याज पर 3 प्रतिशत की दर से ब्याज प्रोत्साहन (अधिकतम रू0 2 लाख प्रति वर्ष) उपलब्ध कराया जायेगा।दूरस्थ स्थानों में स्थापित इकाइयों हेतु यह प्रोत्साहन 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम रूपया 3 लाख प्रतिवर्ष किया जायेगा।
- लघु उद्योगों के अतिरिक्त अन्य रूग्ण इकाइयों के पुनर्जीवीकरण एवं पुनरोद्धार हेतु आपरेटिंग ऐजेन्सी, बैंको, वित्तीय संस्थाओं द्वारा तैयार किये गये पैकेज पर शासन द्वारा सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायेगा।

मानव संसाधन विकासः

- राज्य सरकार द्वारा, उद्योगों की भागीदारी के साथ, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा पॉलिटेक्नीक्स को सुदृढ़ीकृत किया जायेगा, जिससे मानव शक्ति की कुशलता व गुणवत्ता को बढ़ावा मिल सके। सरकारी प्रशिक्षण संस्थाओं को संचालित करने में उद्योगों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- राज्य में एक शक्तिशाली उद्यमिता आधार बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा औद्यौगिक संगठनों एंव अन्यों की सहायता से उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जायेगा ।
- दूरस्थ क्षेत्रों में उद्यमिता विकास के कार्यक्रमों को संचालित करने एवं स्थानीय स्तर पर उद्यमिता विकसित करने हेतु प्रयास किये जायेंगे।

रोजगारः

उद्योग नीति 2003 का एक मुख्य उद्देश्य रोजगार अवसर को बढ़ावा देना है। इस परिप्रेक्ष्य में स्वरोजगार अवसर, उद्यमिता विकास, औद्यौगीकरण तथा पूरक इकाइयों को प्रोत्साहित कर रोजगार के नये अवसर सृजित किये जायेगें ।

उपसंहार–

राज्य सरकार , भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष प्रोत्साहन पैकेज, राज्य के अन्तर्निहित अवसर, राज्य में शान्तिपूर्ण कानून व्यवस्था की स्थिति, प्रगतिशील कठिन परिश्रमी जनशक्ति के परिपेक्ष्य में राज्य की सम्पन्नता व औद्यौगिक विकास के लिये प्रतिवद्ध है।

यह एक गतिमान नीति है अतः आवश्यकतानुसार समय समय पर इसमें परिर्वतन किये जाने पर विचार किया जायेगा। इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि शासन उपरोक्त प्रतिबद्धताओं के प्रति दृढ़ रहेगा। शासन तथा उद्योग जगत के संयुक्त प्रयासों से अपेक्षित परिणाम प्राप्त होगे।

ΘΘΘ

ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ

ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ